

4604



4. 11/10/20

## न्यास विलेख

संस्थापकगण के नाम :

1. श्री पवन कुमार
  2. श्री चैनपाल सिंह पुत्रगण स्व. श्री हुकुम सिंह
  3. श्रीमति कुसुम देवी पत्नी पवन कुमार
  4. श्रीमति बाला देवी पत्नी श्री चैनपाल सिंह
- समस्त निवासीगण 20/9 इन्द्रबाबा मार्ग, किशनपुर, देहरादून।

न्यास का नाम : 'प्रगृहि श्रोत विकास ट्रस्ट'

न्यास का पता : 113/2 राजपुर रोड, देहरादून।

न्यासिगण का नाम :

1. श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री हुकुम सिंह
  2. श्री चैनपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हुकुम सिंह
  3. श्रीमति कुसुम देवी पत्नी पवन कुमार
  4. श्रीमति बाला देवी पत्नी श्री चैनपाल सिंह
  5. श्री मोहित पुत्र श्री चैनपाल सिंह
  6. श्री निशान्त पुत्र श्री पवन कुमार
  7. श्री रोहित पुत्र श्री पवन कुमार
- समस्त निवासीगण 20/9 इन्द्रबाबा मार्ग, किशनपुर, देहरादून।

रजिस्ट्रार नंबर : 22

चैनपाल सिंह बाला देवी कुसुम

पवन कुमार

रजिस्ट्रार: आर०एस० राधा

①

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

₹  
10000

Rs.  
10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड-UTTARAKHAND

746634

मुख्य न्यायाधीश  
कोटा न्यायालय, देहरादून

11 JUN 2010

निर्णय विभाग  
कोटा न्यायालय


न्यास विलेख

1. संस्थापक के नाम
2. न्यास का नाम
3. न्यास का पता
4. न्यासियों के नाम व पते
5. न्यास के उद्देश्य
6. न्यास के अधिकार
7. न्यास समिति का गठन एवं अधिकार
8. न्यास की सम्पत्तियों का नियंत्रण
9. न्यास की पूंजी
10. न्यास की सम्पत्तियां
11. स्टाम्प शुल्क

य न्यास के लिए वी.लादेनी


प्रकाश कुमार कुसुम

②



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

746166




1. संस्थापक के नाम :

1. श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री हुकुम सिंह
  2. श्री चैनपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हुकुम सिंह
  3. श्रीमति कुसम देवी पत्नी पवन कुमार
  4. श्रीमति बाला देवी पत्नी श्री चैनपाल सिंह
- समस्त निवासीगण 20/9 इन्द्रबाबा मार्ग किशनपुर देहरादून।

चैनपाल/देवी बाला देवी

पवन कुमार कुसम

(3)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND ✓

745437




2. न्यास का नाम :

'प्रगृति श्रोत शिक्षा ट्रस्ट' होगा। यह एक लाभ हानि रहित न्यास होगा। न्यास को प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल न्यास के उद्देश्यों के अनुसार ही किया जा सकेगा। उक्त न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।


चै. न्यास/15/15 वाला देवी  
पार. न्यास कृष्ण

(4)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND ✓

745824



3. न्यास का पता :

न्यास का मुख्य कार्यालय 113/2 राजपुर रोड, देहरादून होगा। जो कि न्यास समिति की अनुमति व स्वीकृति से न्यास का कार्यालय बदला जा सकेगा।

4. न्यासिगण का नाम एवं पते :

1. श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री हुकुम सिंह
2. श्री चैनपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हुकुम सिंह
3. श्रीमति कुसम देवी पत्नी पवन कुमार
4. श्रीमति बाला देवी पत्नी श्री चैनपाल सिंह
5. श्री मोहित पुत्र श्री चैनपाल सिंह
6. श्री इशान्त पुत्र श्री पवन कुमार
7. श्री रोहित पुत्र श्री पवन कुमार

समस्त निवासीगण 20/9 इन्द्रबाबा मार्ग किशनपुर देहरादून।

चैनपाल सिंह बाला देवी  
पवन कुमार कुसम

(5)

435-1000  
15/6/10

प्राति त्रैत त्रिमा - 2111, रावपुर रोड, देहरादून

प्रलेख नः 4604

TRUST (IMMOVABLE)  
TRUST (IMMOVABLE)

रजिस्ट्रेशन फीस	पेस्टिंग शुल्क	Electronic Processing Fee	कुल योग	शब्द लगभग
5000.00	10.00	460.00	5470.00	1000

श्री/श्रीमती/कुमारी पवन कुमार

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री स्व0 हुकुम सिंह

निवासी 20/9 इन्द्रबाबा मार्ग किशनपुर देहरादून

ने आज दिनांक 15/06/2010 समय 5:30:30PM

कार्यालय उप निबन्धक सदर 2 देहरादून

मे प्रस्तुत की

उपनिबंधक सदर 2 देहरादून  
*15.06.2010*



पवन कुमार

*Pawan Kumar*

इस लेखपत्र का निष्पादन उक्त

श्री पवन कुमार, s/o स्व0 हुकुम सिंह, 20/9 इन्द्रबाबा मार्ग किशनपुर देहरादून /चैनपाल सिंह, s/o स्व0 हुकुम सिंह, उक्त /कुसु देवी, w/o पवन कुमार, उक्त /बालादेवी, w/o चैनपाल सिंह, उक्त

ने स्वीकार किया ।

पहचान श्री आर0एस0राघव

पुत्र श्री

निवासी एडवोकेट देहरादून

श्री आर0एस0बेग

पुत्र श्री


निवासी एडवोकेट देहरादून

ने की

उपनिबंधक सदर 2 देहरादून



चैनपाल सिंह



बालादेवी

*बालादेवी*



आर0एस0राघव



आर0एस0बेग

*Ar0AS0Beg*



पवन कुमार

*Pawan Kumar*



कुसु देवी


*कुसुम*

*[Signature]*

**अधिक एवं साक्ष्य के बिना कंकु विरामपुत्र सिने को हें को लक्षण प्रतीत होते हैं ।**

CROWN 1.0


NIC-UTTARANCHAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND ✓



745675




#### 5. न्यास के उद्देश्य :

यह कि संस्थापकगण के मन में शुरु से ही इच्छा थी कि समाज के समाजिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षिक, खेलकूद क्रियाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य किए जाए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए एक न्यास का गठन संस्थापकों द्वारा किया जा रहा है। यह न्यास किसी भी धर्म, जाति, समाजिक एवं राष्ट्रीयताओं के किसी भेद भाव के बिना समानता के सिद्धांतों के मानते हुए कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास के मुख्य उद्देश्य होंगे।

श्रीमती पारु कुमारी देवी  
पारु कुमारी देवी






उत्तराखण्ड UTTARAKHAND ✓

8

745938




IV यह कि विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बंधी हर सुविधा प्रदान करना जैसे, किताबे, छात्रवृत्ति एवं अन्य शिक्षा संबंधी सामग्री प्रदान करना।

V यह कि मानव हित में कार्य करना एवं समाज सेवा को प्रोत्साहित करना।

VI यह कि भारतीय शिक्षा का स्तर बढ़ाना एवं विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देना।

उत्तराखण्ड न्यायालय


उत्तराखण्ड न्यायालय  
कुसुम



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND ✓

9

745977



VI यह कि समाजिक बुराईयों जैसे गरीबी, जनसंख्या नियंत्रण आदि जैसे समस्या के खिलाफ अभियान चलाना।

VII यह कि समाज के पिछड़े वर्ग को शिक्षा, चिकित्सा, अर्थिक, व्यवसायिक मदद प्रदान करना।

VIII यह कि खेल-कूद एवं पर्यटन सम्बंधी क्रियाओं को बढ़ावा देना।

IX यह कि सभी भारतीय भाषाओं एवं उनके साहित्य को बढ़ावा देना।


X यह कि अखबार एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, मुद्रण व वितरण करना।

यु. न. पाल सिंह बालादेवी  
प्रा. कुमार कुसुम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.  
10000



Rs.  
10000

TEN THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

10

746112

11 JUN 2010

डिजिटल किया  
कोड सं. 001


XI यह कि उपभोगताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना एवं अधिकारों के संरक्षण में मदद करना।

इन सभी कार्यों के लिए न्यायियों को संस्थापकगण द्वारा इस न्यास विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति के रूप में दी गई है। जिसे न्यासी भारत की संविधान में रहते हुए न्यास के उपरोक्त लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यायहित में न्यास के नाम से उपयोग करेंगे।

6. न्यास के अधिकार :

न्यास के उद्देश्यों के अतिरिक्त न्यासीगण के पास निम्न अधिकार होंगे।


उत्तराखण्ड का न्यायिक  
मन्त्री कुमाय कुसम



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11

745577



I यह कि किसी भी व्यक्ति, संगठन एवं न्यास से कोई भी दान अथवा अर्थिक सहायता शर्त अथवा उसके बिना प्राप्त करना।


II यह कि न्यास कोष अथवा न्यास को प्राप्त होने वाली धनराशि अंश में या पूर्ण रूप से न्यास के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना।

III यह कि न्यास सम्पत्ति अथवा न्यास को प्राप्त हुई धनराशि इस्तेमाल करना एवं उसे अचल सम्पत्ति में बदलना।

IV यह कि न्यास कोष में जमा धनराशि को निवेश करवा अथवा जमा करना अथवा किसी भी कम्पनी बैंक, फर्म को लोन पर देना।

IV यह कि न्यास की अचल सम्पत्ति को किराए पर देना अथवा विक्रय करना। ऐसी शर्तों पर जैसा की न्यासीगण सही समझे।

न्यास कोषाधिकारी  
देहरादून 112 कुसम  
9



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12

746922

मुख्य कार्यालय  
काशी, उत्तराखण्ड  
[11] JUN 2010  
विभागाध्यक्ष, काशी  
उत्तराखण्ड


7. न्यास समिति का गठन एवं अधिकार :

I यह कि संस्थापकगण एवं न्यासीगण मिलकर न्यास समिति का गठन करेंगे।

II यह कि न्यास के प्रशासन, प्रबंधन, संरक्षण, नियंत्रण व न्यास के समस्त कार्य न्यास समिति द्वारा किए जाएंगे।

III यह कि न्यासी न्यास समिति में प्रस्ताव पास कर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नई संस्थाओं के निर्माण कर सकेगी और उनके सुचारु प्रबंधन के लिए उपसमितियों को गठन कर सकेगी और सुचारु प्रबंधन न कर पाने की दशा में न्यास समिति द्वारा इन संस्थाओं की समितियों को भंग कर नई उपसमितियों को गठन कर सकेगी।

श्री मालादेवी क. लालादेवी  
पद्म कुमार कुसुम



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND ✓

(15)

746890



VI यह कि न्यास कोष से सम्बंधित किसी भी वाद, क्लेम, मांग आदि को विवाचक को सौंपना अथवा उससे सम्बंधित सुलह करना।


VII यह कि न्यास के कार्यों के लिए सामान्य प्रतिनिधि नियुक्त करना अथवा ऐसे प्रतिनिधियों को न्यास के उद्देश्यों के हित के लिए अपने अधिकार सौंपना।

VIII यह कि न्यास के पदाधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके नियुक्ति से सम्बंधित नियमों का गठन करना।

IX यह कि किसी भी सरकारी कार्यालय में न्यास की ओर से उपस्थित होना अथवा उसका प्रतिनिधित्व करना।

X यह कि न्यास का हस्तांतरण अथवा उसका अद्वयासन किसी भी सुसाईटी, संगठन, न्यास आदि को ऐसी शर्तों पर सौंपना जैसा न्यासीगण को उचित लगे।

पुस्तक 2 चीनफरतिद बे लोदेवी कुराम



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND ✓

14

746731



8 अ. प्रत्येक न्यासी को अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छा अनुसार पदत्याग सकता है। ऐसा करने से पूर्व एक माह पूर्व सूचना प्रदान करना आवश्यक होगा।


9. न्यास की पूंजी :

सूची में वर्णित सम्पत्ति के साथ ट्रस्ट का सृजन किया जा रहा है। सूची में वर्णित सम्पत्ति के समस्त अधिकार ट्रस्ट को समर्पित किए जा रहे हैं।

10. सूची सम्पत्तियां :

भूमि स्थित खसरा संख्या 234, कुल रकबा 0.1912 है०, खसरा संख्या 235 क, रकबा 0.093 है०, खसरा संख्या 235 ख, रकबा 0.0188 है०, खसरा संख्या 307 क, रकबा 0.2560 है०, खसरा संख्या 307 ख, रकबा 0.1552 है० कुल रकबा 0.7142 है०, स्थित मौजा मेहवाला माफी परगना केन्द्र दून जिला देहरादून।


पवार कुमारी  
मुख्य न्यायाधीश  
मुख्य न्यायाधीश देवी  
पवार कुमारी कुसुम



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

15

745711



III यह कि न्यासी, न्यासियों की कुल संख्या के 1/4 संख्या के निवेदन पर कभी भी न्यास समिति के बैठक बुलाने का निवेदन अध्यक्ष से कर सकती है। जिसपर अध्यक्ष 15 दिन से पूर्व सूचना देकर बुलाएगा।


IV यह कि न्यास समिति जखत के अनुसार नियम उपनियम बना सकती है या बदल सकती है। न्यास समिति के अतिरिक्त किसी को भी न्यास के नियम एवं उपनियम बदलने का अधिकार नहीं होगा।

V यह कि न्यास समिति को न्यासियों को बदलने की विधि संस्थापकगण के द्वारा तय होगी एवं मान्य समझी जाएगी।

8. न्यास की सम्पत्तियों का नियंत्रण :

यह कि न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों पर न्यास समिति का नियंत्रण होगा।


पुनः कुमार ललितानंद वालादेवी कुसुम



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

16

745845



11. स्टाम्प शुल्क :

यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का क्षेत्र 0.7142 है० है। जिसका सर्किल रेट 55,00000/- रुपये प्रति है० की दर से कीमत अंकन 39,28,100/- अर्थात् 39,29,000/- रुपये निर्धारित होती है। जिसपर नियम अनुच्छेद 64 सपठित अनुच्छेद 55 स्टाम्प अधिनियम के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से 1,57,160/- अर्थात् 1,58,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

श्री न.प.ल. वि.काला देवी  
पार्ष्णी कुसुम



उत्तरांचल UTTARANCHAL

(17)

210398

सुप्रीम कोर्ट  
दिल्ली

11 JUN 2010

निवेदन: यह कि न्यास के सम्बंध में क्षेत्राधिकार केवल जिला देहात  
न्यायालय को ही प्राप्त होगा।  
अतः यह न्यास विलेख आज दिनांक 15.06.2010 स्थान  
देहात में समक्ष गवाहन व संस्थापकों द्वारा हस्ताक्षरित किया  
जाया।

— न्यायाधीश बालादेवी

उपनिर्वाह कुसुम



उत्तरांचल UTTARANCHAL  
11 JUN 2010  
निराल विद्या  
कांड सं. 001

(18)

A 439574

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु:-  
संस्थापक सं० 1 का नाम श्री पवन कुमार  
संस्थापक के बायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ



अंगुली



अंगुली



अंगुली



अंगुली

संस्थापक के बायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान

पवन कुमार कुसुमा

भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

(19)

A 439575

11 JUN 2010

निर्वात किया  
मोह सं. 662

संस्थापक के दायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ




अंगुली



अंगुली



अंगुली



अंगुली

चौपालादेवी मालादेवी

पवन कुमार कुसुम

भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES



सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार उत्तरांचल  
(Circular Seal)

उत्तरांचल UTTARANCHAL

20


A 439571

JUN 2010


निर्गम किया  
कोड सं० ७९३

संस्थापक सं० 2 का नाम श्री चैनपाल सिंह पुत्रगण


संस्थापक के बायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ



अंगुली



अंगुली




अंगुली



अंगुली

संस्थापक दायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ




अंगुली



अंगुली



अंगुली



अंगुली

चैनपाल सिंह बालादेवी

पारंपर कुसुम



कोषागार, देहरादून  
उत्तरांचल UTTARANCHAL

(१)

A 439572

11 JUN 2010


निगल विद्या  
कलकत्ता 700012

संस्थापक सं० 3 का नाम श्रीमति कुसम देवी


संस्थापक के बायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ




अंगुली



अंगुली



अंगुली



अंगुली


संस्थापक दायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ




अंगुली



अंगुली



अंगुली



अंगुली

श्रीमति कुसम देवी  
पति कुसम



कोषागार, मेहरावल  
 उत्तरांचल UTTARANCHAL  
 11 JUN 2010  
 निर्मल विमर्श  
 काष्ठ सं. 803


22

A 439573


संस्थापक सं० 4 का नाम श्रीमति बाला देवी  
 संस्थापक के बायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ



अंगुली



अंगुली




अंगुली




अंगुली


संस्थापक दायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान




अंगुष्ठ




अंगुली



अंगुली




अंगुली



अंगुली

संस्थापक का नाम श्रीमति बाला देवी  
 प्रतिकुमार कुसुम




कोषागार, देहरादून  
उत्तरांचल UTTARANCHAL


23

A 439576

1 JUN 2010  
निर्गत दिनांक  
कांड सं. 001


साक्षीगण :-

1.   
आर.एस. राघव  
(अधिवक्ता)

2.   
आरिफ को  
(अधिवक्ता)

पक्षकारों ने एक दूसरे की शिनाख्त की तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथा बताये गये तथ्यों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना की गयी। पक्षकारों ने स्वयं के चित्रण पुष्ट किये।

रचयिता :- आर.एस. राघव अधिवक्ता कोर्ट परिसर, देहरादून (उत्तराखण्ड)


पक्षकारों के अलावा कोई भी   
कुसुम

585/6 500  
15/06/10

585/1  
INC. NO. *Umesh Gupta*  
Stamp Vendor  
Dehra Dur



न्यासकर्ता




न्यासी



गवाह



बही न. 1                      जिल्द    3192                      पृष्ठ 285 से 330  
में न.                      4604                      पर आज दिनांक 15/06/2010                      में रजिस्ट्री की गई ।  
उप निबन्धक *Adhy* सदर 2 देहरादून



NIC UTTARANCHAL.